कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा
वि. ख. पण्डरिया, जिला,कबीरधाम (छ.ग.)

E-mail- govtcollegekunda10@gmail.com mob.9981132480 exam center cod 410 **www.gnckunda.ac.in**

क्रमांक 109/स्था/2025 **कुण्डा दिनांक 29.7.25**

//संशोधित विज्ञापन//

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु

कार्यालय आयुक्त उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्र. 289/1/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2025 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा, जिला– कवर्धा, में निम्नलिखित विषय एवं अन्य पद में अध्यापन के व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षक सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 08.08.2025 को समय 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्युनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षको और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानको के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण, के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति एंव दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष
3. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियो को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदो का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद	
		प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक
01	गणित	00	01
02	भौतिक	00	01
03	अंग्रेजी	00	01
04	रसायन	00	01
05	वाणिज्य	00	01
6	वनस्पति	00	01

टीपः– संबंधित विषयो में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थनांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
02. दिनांक 08.08.25 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय मे प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.pgcollegekawardha, ngckunda.ac.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
05. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाये भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।

06. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400 / –	300 / –
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतन मानदेय	1600 / – (41,600 / प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / – (30,000 / –प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 / –	350 / –
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 / – (50,000 / –प्रतिमाह अधिकतम)	1400 / – (35,000 / – प्रतिमाह अधिकतम)

07. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा,वि.ख. कवर्धा जिला–कबीरधाम,** एवं आवेदित विषय / पद आवश्यक रूप से लिखे।
08. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य का महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा और लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंर्तगत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
09. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
10. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ, चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधिया, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मुल्यांकन संबंधी कार्यो में सहयोग प्रदान करेंगे।
12. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र् में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायते प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रो में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होगें।

Principal
Naveen Govt.College, Kunda
Distt.-Kabeedham (C.G.)